बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 156747 पटना, दिनांक 22/07/13

ग्रा.वि.-8(थ0)-128/2011

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी जिला निधि प्रबंधक ।

विषयः- महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत निधि प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 143522 दिनांक 26.03.2013 एवं पत्रांक 145363 दिनांक 11.04.2013 ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों के द्वारा मनरेगा अन्तर्गत निधि प्रबंधन के संबंध में कतिपय निर्देश दिए गये हैं जो निम्नवत् हैः-

1. पंचायत की निधि 1 लाख से कम होने पर छोटे पंचायत जिसकी आबादी 8888 से कम है, को 3 लाख तथा बड़े पंचायत जिसकी आबादी 8888 से अधिक है, को 5 लाख रूपये निधि प्रबंधक द्वारा अंतरित किया जाना है ।
2. जिन छोटे पंचायतों में गत वर्ष 30 लाख से अधिक तथा बड़े पंचायत में 40 लाख से अधिक व्यय किया हो, की निधि 1 लाख रूपये से कम होने पर, उनको क्रमशः 6 लाख एवं 10 लाख रूपये अंतरित किया जाना है ।
3. पंचायत के निर्धारित सीमा से अधिक राशि हस्तांतरित करने के मामलों में जिला कार्यक्रम समन्वयक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना है ।
4. छोटे पंचायत द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख तथा बड़े पंचायत के मामले में 30 लाख रूपये की निधि उपलब्ध करा दिए जाने के उपरांत, हर अंतरित की जाने वाली निधि में जिला कार्यक्रम समन्वयक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है ।

इन उपर्युक्त निर्देशों को सरल करते हुए मात्र निम्नलिखित आधार पर राशि अंतरण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है:-

I. पंचायत खाते में निधि 1 लाख रूपये से कम होने की स्थिति में छोटे पंचायत को छः लाख तथा बड़े पंचायत को 10 लाख रूपये की राशि निधि प्रबंधक द्वारा, हर मामले में, जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन प्राप्त कर अग्रिम स्वरूप अंतरित की जायेगी ।

II. देयता के भुगतान हेतु निर्धारित सीमा से अधिक राशि अंतरित करने के मामले में भी जिला कार्यक्रम समन्वयक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा । जिला कार्यक्रम समन्वयक की यह जिम्मेदारी है कि निधि प्रवाह सुगम हो ताकि दायित्व सृजन की स्थिति उत्पन्न न हो पावे । दायित्व का सृजन होना, जिले के कमजोर वित्तीय प्रबंधन का प्रतीक माना जायेगा ।

III. सेन्ट्रल बैंक को भेजे जाने वाले एडवाइस में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि एडवाइस के सभी मामलो में जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक का अनुमोदन प्राप्त है ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य स्तरीय खाते की व्यवस्था, अनावश्यक निधि पार्किंग की समस्या को कम करने के लिये मात्र है । जिला विशेष हेतु प्राप्त की जा रही राशि का विधिवत उपयोग सुनिश्चित करना जिला कार्यक्रम समन्वयक की जिम्मेदारी है । इस संबंध में MGNREGA Operational Guidelines, 2013 की कंडिका 2.3.1 अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि "निधियों की समय पर रिलिज एवं उपयोग सुनिश्चित करना" जिला कार्यक्रम समन्वयक का दायित्व है ।

कृपया इसे सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

19.7.13

(अमृत लाल मीणा)
सचिव